फर्द अहकाम

(नियम 15)

2024/459

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ

मोहित आदि बनाम धर्मपाल आदि

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 355 वर्ष 2024

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये
19.07.2024	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 25.07.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
22.7.2024	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मिसल पेशी पेश करने पर पत्रावली को पेशी में लिया गया। वकलाए फरीकेन उपस्थित। प्रतिवादी सं.1 जरिये वकील धर्मेन्द्र उपस्थित आकर जवाब दावा पेश किया जिसे शामिल फाईल किया गया। पत्रावली वास्ते स्टेट जवाब आईन्दा तारीख 26.7.2024 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	धर्मपाल ... धर्मेन्द्र
26.7.2024	वकलाए फरीकेन उपस्थित। स्टेट जवाब प्राप्त हुआ। बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व वादी प्रतिवादी की आपसी सहमति के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है। पृथक से निर्णय अलग से लिखाया जाकर शामिल फाईल किया जावे। पत्रावली [illegible] की जाकर बाद [illegible] दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 18:17:26 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.
मुकदमा संख्या :– 355/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. मोहित कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।
2. राजेश कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी धन्नासर तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ।

–वादीगण

बनाम

1. धर्मपाल पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी धन्नासर जिला हनुमानगढ़।
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार(राजस्व) रावतसर तहसील रावतसर।

–प्रतिवादीगण

उपस्थितः– श्री सुरेन्द्र कुमार हुड्डा वकील–वादीगण
श्री धमेन्द्र वकील प्रतिवादी सं. 1
राजपेरोकार प्रतिवादी सं. 2

निर्णय दिनांक– 26.07.2024

यह राजस्व मुकद्दमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 5 सी.एल.डी. के खाता संख्या 146/53 के पत्थर नम्बर 75/44(101) किला नम्बर 1, पत्थर नम्बर 75/45(108) किला नम्बर 16, 17/1, 23/2, 24, 25 व पत्थर नम्बर 75/46(129) 3, 4, 5 व पत्थर नम्बर 75/53(107) किला नम्बर 10/4, 11/2, 17/2, 20/2, 21/2, 22/2, 23, 24 इस प्रकार कुल 3.8470 हैक्टेयर भूमि के वादीगण को ब हिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेगें।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2024 को जारी की गई।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.07.31 18:17:26 IST
Reason: SelfAttested